रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938
No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

का.आ. 26(अ).—आधार का पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग सेवाओं अथवा सहायकियों अथवा लाभों को प्रदान करने में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को उनके हकों को सीधे सुविधाजनक एवं परेशानी रहित ढंग से प्रदान करता है एवं आधार किसी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है;

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अंतर्गत रचित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में सदस्य एवं पेंशनभोक्ता हैं तथा केन्द्रीय सरकार अपना अंशदान करती है तथा सहायकी उपलब्ध कराती है जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय होता है;

अत:, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. (1) केन्द्रीय सरकार के अंशदान एवं योजना के अंतर्गत सहायकी का लाभ उठाते हुए कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एवं सदस्यता लाभ को जारी रखने के इच्छुक कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य एवं पेंशनभोक्ताओं, से एततद्वारा अपेक्षित है कि वे उन्हें आधार संख्या आबंटित होने का प्रमाण दें अथवा आधार के माध्यम से बेहतर एवं परेशानी रहित पहचान हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित आधार अधिप्रमाणीकरण करायें।

(2) कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता जो योजना का लाभ जारी रखने के इच्छुक हैं, जिन्हें अभी आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है को, 31 जनवरी, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है एवं ऐसे सदस्य तथा पेंशनभोक्ता आधार के लिए नामांकन हेतु आधार नामांकन केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है):

परंतु उस समय तक जब तक कि उक्त सदस्य को आधार प्राप्त नहीं हो जाता, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अंशदान एवं सहायकी पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों के आधार पर दी जाएगी जैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्याधीन होगा, अर्थात:

(क) (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालय द्वारा अथवा नियोक्ता द्वारा, उक्त संगठन द्वारा जारी विशिष्ट खाता संख्या (यू.ए.एन.) सहित जारी पहचान पत्र (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित टेम्पलेट);

(ii) यदि सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता का नामांकन हो गया है, उसकी आधार नामांकन आई.डी. स्लिप; अथवा

(iii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में उल्लेख किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए अनुरोध की प्रतिलिपि, तथा

(ख) (i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; अथवा (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या (पेन) कार्ड; अथवा (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाईसेंस; अथवा (v) राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके लेटर हेड पर जारी किया गया फोटो लगा हुआ पहचान प्रमाणपत्र; अथवा (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विर्निदिष्ट किया गया कोई अन्य दस्तावेज:

परतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों और उनके नेटवर्क द्वारा विशेषत: पदनामित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. उपर्युक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अंशदान तथा सहायकी को सदस्यों के लाभ के लिए सुविधापूर्ण ढंग से तथा बाधा रहित उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों और उनके नेटवर्क द्वारा निम्नलिखित को शामिल करते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे, अर्थात्:-

(1) उपर्युक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अंशदान तथा सहायकी पाने के उद्देश्य हेतु आधार की जरूरत के लिए संबंधित स्थापनाओं के माध्यम से सदस्य आवेदकों को मीडिया तथा विशिष्ट नोटिसों के व्यापक प्रचार द्वारा जागरूक किया जाएगा तथा यदि सदस्यों को नामांकित नहीं किया गया है, उन्हें सलाह दी जाएगी कि वे 31 जनवरी, 2017 तक अपने ब्लॉक अथवा तहसील अथवा ताल्लुके में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्र में जाकर स्वयं को नामांकित कराएं और नामांकन केंद्रों की स्थानीय सूची उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(2) यदि, सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता उनके ब्लॉक अथवा तहसील अथवा ताल्लुके में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण स्वयं को नामांकित नहीं करा सकते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को चाहिए कि सुविधाजनक स्थानों में नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता से अनुरोध किया जाए कि वे नामांकन के लिए अपना अनुरोध अपने नाम एवं अन्य विवरण जैसे कि सदस्यता संख्या, पता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वेब-पोर्टल पर दिए गए मोबाइल नंबर सहित पंजीकृत कराएं तथा ऐसे अनुरोध को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से इसके फील्ड कार्यालयों द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सुविधाजनक स्थानों में नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

3. यह अधिसूचना जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-11025/3/2015-एस.एस.- II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2017

S.O. 26(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

Whereas, the Employees' Pension Schemes, 1995 framed under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 to 1952) is having members and pensioners and the Central Government makes its contribution and provides subsidy for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Members and pensioners of the Employees' Pension Scheme desirous of continuing to avail pension and membership to the Employees' Pension Scheme by availing the Central Government's contribution and subsidy under the said Scheme, are hereby required to furnish proof of the possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication as per the procedure laid down by the Employees Provident Fund Organisation for better and hassle free identification through Aadhaar.

(2) A member or a pensioner of the Employees' Pension Scheme desirous of continuing the benefit of the said Scheme, who is not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make an application for Aadhaar enrolment by 31st January, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such members and pensioners may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the said member, the Central Government's contribution and subsidy under the aforesaid Employees' Pension Scheme shall be given based on the alternate and viable means of identification as notified by the Employees Provident Fund Organisation subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) Identity certificate issued by the employer or field office of the Employees Provident Fund Organisation (the template as specified by the Ministry of Labour and Employment) with the Unique Account Number (UAN) issued by the said Organisation;

(ii) if the member or pensioner has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragaph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) the Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (iii) the Passport; or (iv) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (vi) any other document specified by the Employees Provident Fund Organisation:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Employees Provident Fund Organisation through its field offices and their networks.

2. In order to provide convenient and hassle free Central Government's contribution and subsidy under the aforesaid Employees' Pension Scheme for the benefit of the members, the Employees Provident Fund Organisation through its field offices and their networks shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the concerned establishments shall be given to the member applicants to make them aware of the requirement of Aadhaar for the purpose of availing the Central Government's contribution and subsidy under the aforesaid Employees' Pension Scheme and in case such members are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their Block or Tehsil or Taluka by 31st January, 2017 and the list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(2) In case, the members or pensioners are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in their Block or Tehsil or Taluka, the Employees' Provident Fund Organisation is required to create enrolment facilities at

convenient locations. The member or pensioner may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, membership number, address, mobile number on Employees' Provident Fund Organization's web portal and such requests can also be registered with the Employees Provident Fund Organisation through its field offices as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Employees Provident Fund Organisation shall offer enrollment facilities at convenient locations.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. R-11025/3/2015-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.05 18:34:22 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.